न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO),मावली जिला उदयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी : रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S.

पत्रावली संख्या : 128/24 (प्रा0पत्र)

GCMS No. : 2024/479

अनवान्

1. श्री अशोक माता पारसदेवी पिता शंकरलाल कोठारी जैन निवासी डबोक तहसील मावली।

.....प्रार्थी

बनाम

1. श्री रणजीतलाल पिता समरथलाल महाजन निवासी नाकोडा विलास वेस्टर्नन इन होटल के पास, भाबोला रोड पोस्ट ऑफिस पापडी वसई जिला पालघर, महाराष्ट्र।
2. श्री दिनेशचन्द्र पिता समरथलाल महाजन निवासी 11 कबीर कॉलोनी चित्तौडगढ। मृतक

2/1 श्रीमती संगीता पत्नी प्रणय भण्डारी निवासी 2 प्रेम नगर रूप सागर रोड नियर विनायक कॉम्पलेक्स बी उदयपुर।

2/2 श्रीमती शर्मिला पत्नी महेन्द्र बोरा निवासी 36 गांधी नगर सेक्टर 4 चित्तौडगढ।

2/3 श्री संजय पिता दिनेशचन्द्र जैन निवासी 11 कबीर कॉलोनी चित्तौडगढ।

3. श्री रमेशचन्द्र माता पारसदेवी पिता शंकरलाल कोठारी जैन निवासी डबोक तहसील मावली।
4. श्री चन्द्रप्रकाश माता पारसदेवी पिता शंकरलाल कोठारी जैन निवासी डबोक तहसील मावली।
5. श्रीमती निर्मला माता पारसदेवी पिता शंकरलाल कोठारी जैन निवासी डबोक तहसील मावली।
6. श्रीमती भागवन्ती पुत्री समरथलाल पत्नी चुन्नीलाल निवासी सुमगलम बिल्डिंग ए/2 फ्लेट न. 107–108 भाबोला नियत वेस्टर्न इन होटल के पास, भाबोला रोड पोस्ट ऑफिस पापडी, वसई जिला पालघर महाराष्ट्र।
7. श्रीमती सुशीला पुत्री समरथलाल पत्नि राजमल कुमठ महाजन निवासी 38 ए सेक्टर नम्बर 5 गांधी नगर चित्तौडगढ।
8. श्रीमती अरूणा पुत्री समरथलाल महाजन पत्नी पुनमचन्द निवासी शिवनेरी कॉम्पलेक्स सी–विंग 102–103 कारदलपाडा रोड जिला पालघर महाराष्ट्र।
9. श्री ओमप्रकाश माता कमला पुत्री समरथलाल महाजन निवासी ए–403 सीटी स्केप, सी. एच.एस. लि. नेक्स्ट टु होटल, कोहीनूर कोन्टीनेन्टल नीयर चकला (जेबी नगर) मेट्रो स्टेशन, अंधेरी–कुर्ला रोड भीमनगर, अंधेरी ईस्ट मुम्बई, महाराष्ट्र।
10. श्रीमती हेमा माता कमला पुत्री समरथलाल पत्नी हरिश ओस्तवाल महाजन निवासी मकान नम्बर 7–8 न्यू डोरे नगर, हिरणमगरी उदयपुर।
11. श्री बाबु माता कमला पुत्री समरथलाल महाजन निवासी भुवाना उदयपुर।
12. श्री विजय माता कमला पुत्री समरथलाल महाजन निवासी भुवाना उदयपुर।
13. श्री ललित माता कमला पुत्री समरथलाल महाजन निवासी भुवाना उदयपुर।
14. श्री कैलाश पिता उदयलाल चौधरी, कलाल निवासी मेघवालों की घाटी, देबारी तहसील गिर्वा।
15. राज्य सरकार जरिये तहसीलदार मावली, तहसील मावली।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

16. राज्य सरकार उप पंजीयक मावली तहसील मावली।

................विपक्षीगण

उपस्थित–1. श्री दुर्गाशंकर मेनारिया, अधिवक्ता प्रार्थी।

2. श्री पंकज चौधरी, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 1, 2/1 से 2/3

3. श्री घनश्याम पालीवाल, अधिवक्ता विपक्षी संख्या 14

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

—: : निर्णय : :—

दिनांक : 28.10.2025

1. प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत् प्रस्तुत किया जिसके संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली के परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 662, 663, 890, 891, 892, 893, 2461, 4067/1595 किता 8 कुल रकबा 42 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाना जी श्री समरथ लाल जी पिता श्री धुलचन्द जी महाजन के खातेदारी हक अधिकार की थी जिसमें से नामान्तरण संख्या 435 इन्द्राज दुरस्ती से आराजी नम्बर 4067/1595 में से रकबा 14 बीघा मोहन लाल पिता कजोड नाई के नाम अंकित करने का आदेश हुआ जिससे 42 बीघा 18 बिस्वा में से 14 बीघा मोहनलाल पिता कजोड नाई के नाम चले जाने के बाद आराजी नम्बर 662, 663, 890, 891, 892, 893, 2461, 4067/1595/2 किता 8 कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि प्रार्थी के नाना जी श्री समरथलाल जी पिता श्री धुलचन्द जी महाजन के खातेदारी हक अधिकार की शेष रही थी। आराजी नम्बर 890, 891, 892, 893 किता 4 विपक्षी संख्या 1 व 2 द्वारा पूर्व में रामसिंह पिता केसरसिंह को विक्रय की जा चुकी है तथा आराजी नम्बर 662 रकबा 0.1052 हेक्टेयर, आराजी नम्बर 663 रकबा 0.0809 हेक्टेयर किता 2 कुल रकबा 0.1861 हेक्टेयर स्थित होकर वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम से अंकित थी जो वर्तमान में विपक्षी संख्या 14 कैलाश के नाम अंकित हैं। परिशिष्ट ख में वर्णित आराजी नम्बर 2173, 2174, 2175, 2176, 2353, 2380, 2381, 2382, 2386 किता 9 कुल रकबा 16 बीघा 7 बिस्वा स्थित होकर भंवरलाल समरथलाल सेरसिंह लछमी लाल पिता धुलचन्द महाजन के नाम हिस्सा बराबर से खातेदारी हक अधिकार से अंकित थी। वर्तमान राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम 1/2 हिस्से से, लक्ष्मीलाल पिता धुलचन्द 1/4 हिस्सा, राजमल, माधुलाल, मिठालाल पिता भंवरलाल 1/4 हिस्सा महाजन के नाम अंकित हैं।

2. यह कि परिशिष्ट क की भूमि खसरा नम्बर 662, 663, 890, 891, 892, 893, 2461, 4067/1595/2 किता 8 कुल रकबा 28 बीघा 18 बिस्वा प्रार्थी के नानाजी श्री समरथलाल पिता धुलचन्द जी महाजन के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य की थी

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

जिसमें से नामान्तकरण संख्या 435 इन्द्राज दुरूस्ती से आराजी नम्बर 4067/1595 रकबा 14 बीघा मोहनलाल पिता कजोड नाई के नाम अंकित करने का आदेश हुआ जिससे 42 बीघा 18 बिस्वा में से 14 बीघा भूमि मोहनलाल नाई के चली जाने के बाद 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि समरथलाल के नाम शेष रही। इसी तरह परिशिष्ट ख की भूमि प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 से 5, 9 से 13 के नानाजी एवं विपक्षी संख्या 1, 2, 6 से 8 के पिता समरथलाल जी के नाम 1/4 हिस्से से खातेदारी हक से अंकित थी।

3. यह कि उक्त वर्णित परिशिष्ट क की आराजीयात की 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि समरथलाल जी के खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही थी एवं परिशिष्ट ख की आराजीयात 16 बीघा 7 बिस्वा 1/4 हिस्सा समरथलाल पिता धुलचन्द जी के नाम खातेदारी हक अधिकार एवं आधिपत्य में चली आ रही थी कि समरथलाल जी का निधन हो गया। समरथलाल जी के खानदान का सजरा इस प्रकार है :–

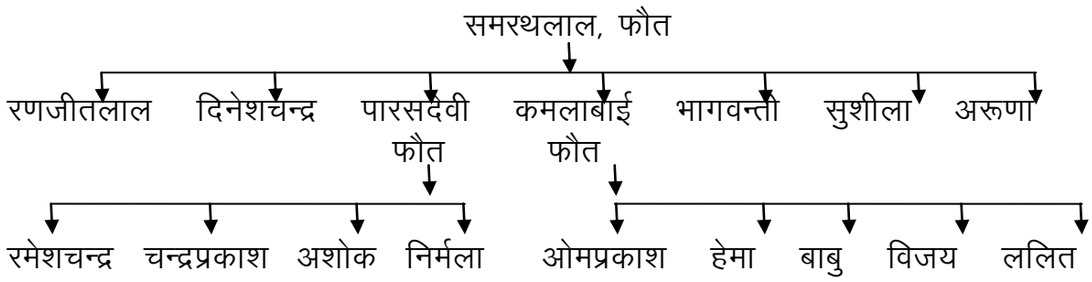

उक्त सजरे के अनुसार समरथलाल जी के दो पुत्र रणजीतलाल (विपक्षी संख्या 1) एवं दिनेशचन्द्र (विपक्षी संख्या 2) एवं पांच पुत्रीया पारसदेवी (प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 से 5 की माता), कमलाबाई (विपक्षी संख्या 9 से 13 की माता), भागवन्ती (विपक्षी संख्या 6), सुशीला (विपक्षी संख्या 7) एवं अरूणा (विपक्षी संख्या 8) हुए। पारसदेवी का निधन हो गया है जिसके तीन पुत्र रमेशचन्द्र (विपक्षी संख्या 3), चन्द्रप्रकाश (विपक्षी संख्या 4), अशोक (वादी) एवं एक पुत्री निर्मला (विपक्षी संख्या 5) हुए। कमलाबाई का निधन हो गया है जिसके चार पुत्र (विपक्षी संख्या 9) ओमप्रकाश, (विपक्षी संख्या 11) बाबु, (विपक्षी संख्या 12) विजय, (विपक्षी संख्या 13) ललित एवं एक पुत्री (विपक्षी संख्या 10) हेमा हैं।

4. यह कि परिशिष्ट क की 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि एवं परिशष्ट ख के 1/4 हिस्से की भूमि समरथलाल जी के निधन के बाद विरासत से उनके दोनो पुत्र विपक्षी संख्या 1 व 2 एवं पांच पुत्रीया पारसदेवी, कमलाबाई, भागवन्ती, सुशीला एवं अरूणा में हिस्सा बराबर से निहित हुई जिससे परिशिष्ट क की भूमि में समरथलाल जी के प्रत्येक वारिस का 1/7–1/7 हिस्सा हक अधिकार जन्म से है एवं परिशिष्ट ख की भूमि में 1/28, 1/28 हिस्सा हक अधिकार जन्म से हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

5. यह कि प्रार्थी की माता पारसदेवी का निधन हो जाने से परिशिष्ट क में उसके 1/7 हिस्से की भूमि में प्रार्थी का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/28 हिस्से की भूमि में प्रार्थी का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 का 1/28 हिस्सा हक अधिकार हैं। इसी तरह परिशिष्ट ख की भूमि में प्रार्थी का 1/112 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/112 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 का 1/112 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 का 1/112 हिस्सा हक अधिकार हैं।

6. यह कि उक्त वर्णित भूमि समरथलाल जी के निधन के बाद विरासत से उनके सभी वारिसान में हिस्सा बराबर से निहित हुई लेकिन समरथलाल जी के पांचो पुत्रीयों को उनके हक हिस्से से महरूम रखने की बदनियत से विपक्षी संख्या 1 व 2 ने विवादित भूमि का नामान्तरकरण संख्या 76 पटवारी हल्का से अपने पक्ष में दर्ज करवा दिया और मृतक समरथलाल जी के सभी विधिक वारिसान को बिना सूचना दिये, बिना नोटिस दिये नामान्तरकरण को अपने पक्ष में स्वीकृत करा दिया जो नामान्तरकरण संख्या 76 प्रार्थी के मुकाबले अवैध होकर शून्य प्रभावी है और ऐसे अवैध एवं शून्य प्रभावी नामान्तरकरण के आधार पर विपक्षी संख्या 1 व 2 को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता हैं।

7. यह कि परिशिष्ट क में वर्णित भूमि की 28 बीघा 18 बिस्वा भूमि में 1/7 हिस्सा एवं परिशिष्ट ख की 1/28 हिस्से की भूमि में प्रार्थी की माता पारसदेवी का हिस्सा था जिसके अनुसार 4 बीघा 2 बिस्वा भूमि हिस्से में आती है लेकिन चूंकि समरथलाल जी ने प्रार्थी की माता श्रीमती पारसदेवी की शादी गांव में ही करायी तब प्रार्थी के नानाजी समरथलाल जी ने प्रार्थी की माता पारसदेवी को वर्ष 1958 में वक्त शादी उक्त विवादित भूमि आराजी नम्बर 662, 663 सम्पूर्ण हथलेवे में दे कब्जा सुपुर्द कर दिया जिससे समरथलाल जी के जीवनकाल से ही उक्त भूमि पर प्रार्थी की माता पारसदेवी का एवं पारसदेवी के बाद प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 3 से 5 का संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा है लेकिन चूंकि परिशिष्ट क में वर्णित सम्पति में जिसमें प्रार्थी की माता का 1/7 हिस्सा यानि कि 4 बीघा 2 बिस्वा बनता है कि बजाय पारिवारिक आपसी समझ से आराजी नम्बर 662, 663 को ही प्रार्थी की माता पारसबाई को दी व शेष आराजीयात में पारसबाई के अलावा दीगर वारिसान का हक हिस्सा अधिकार रखा गया जिस कारण से परिशिष्ट क में वर्णित आराजी नम्बर 662 व 663 के अलावा अन्य आराजीयात के व उनके वर्तमान खातेदार अधिकारी को पक्षकार मुकदमा नहीं बनाया जा रहा है तथा आराजी नम्बर 662, 663 की भूमि में समरथलाल जी के दीगर वारिसान का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं हैं। उक्त वर्णित भूमि एवं प्रार्थी के पिता की पुश्तैनी भूमि मौके पर आपस में मिली हुई होकर मौके पर एक चक के रूप में होकर चारो तरफ बाउण्ड्रीवाल 7 फीट ऊंची बनी रखी है एवं निकास द्वार पर लोहे

Signature Not Verified
Digitally signed by:Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

की फाटक लगा रखी है एवं प्रार्थी उसके भाई बहिन का एकान्तिक कब्जा चला आ रहा हैं। इसी तरह परिशिष्ट ख की भूमि में प्रार्थी का 1/112 हिस्सा, विपक्षी संख्या 1 का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 2 का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 3 का 1/112 हिस्सा, विपक्षी संख्या 4 का 1/112 हिस्सा, विपक्षी संख्या 5 का 1/112 हिस्सा, विपक्षी संख्या 6 का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 7 का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 8 का 1/28 हिस्सा, विपक्षी संख्या 9 से 13 प्रत्येक का 1/140 हिस्सा , 1/140 हिस्सा हक अधिकार है और इसी हक हिस्से अनुसार प्रार्थी एवं विपक्षी संख्या 1 से 13 का संयुक्त कब्जा काश्त उपयोग उपभोग चला आ रहा हैं।

8. यह कि परिशिष्ट क में वर्णित आराजी 662 व 663 में विपक्षी संख्या 1 व 2 का किसी प्रकार का कोई हक अधिकार एवं आधिपत्य नहीं है लेकिन उक्त भूमि राजस्व रेकार्ड में विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम पर अंकित होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 ने प्रार्थी को नाजायज नुकसान पहुंचाने एवं स्वयं द्वारा नाजायज लाभ अर्जित करने की बदनियति से दिनांक 21.06.2024 को विपक्षी संख्या 1 व 2 ने विक्रेता बनकर एवं विपक्षी संख्या 14 को क्रेता दर्शाकर बिना कब्जा, बिना प्रतिफल का एक नुमाईशी विक्रय पत्र तैयार करा दिनांक 21.06.2024 को पंजीयन करा दिया जो विक्रय पत्र बिना प्रतिफल, बिना कब्जे का होकर प्रार्थी के मुकाबले शुरू से ही अवैध होकर शून्य प्रभावी है और ऐसे अवैध एवं शून्य प्रभावी विक्रय पत्र के आधार पर विपक्षी संख्या 14 को किसी प्रकार का कोई राईट प्राप्त नहीं होता है लेकिन विपक्षी संख्या 14 द्वारा विपक्षी संख्या 1 व 2 से अपने पक्ष में निष्पादित कराये गये विक्रय पत्र की आड में प्रार्थी को विवादित भूमि से बेदखल करने एवं भूमि अन्य लोगो को रहन बैह, बक्षीस आदि तरीको से हस्तान्तरित करने पर आमादा है एवं परिशिष्ट ख में वर्णित भूमि में विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम उसके हक हिस्से से ज्यादा का अंकन होने से विपक्षी संख्या 2 ने विपक्षी संख्या 1 के पक्ष में दिनांक 24.06.2024 को नुमाईशी विक्रय पत्र बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के निष्पादित किया गया जिसमें विपक्षी संख्या 2 विक्रेता, विपक्षी संख्या 1 क्रेता बना जिसमें एक गवाह विपक्षी संख्या 2 का पुत्र संजय कुमार बना। कथित विक्रय पत्र बिना कब्जा, बिना हक अधिकार के निष्पादित किया गया जिसके आधार पर विपक्षी संख्या 1 को किसी प्रकार का कोई अधिकार प्राप्त नहीं होता है। इस नुमाईशी विक्रय पत्र के आधार पर अब उक्त भूमि विपक्षी संख्या 1 खुर्द बुर्द करने पर आमादा है एवं प्रार्थी को बेदखल करने पर आमादा है जिस स्थिति में प्रार्थी को अपने हक व अधिकारों की रक्षा के लिए माननीय न्यायालय में वाद वास्ते घोषणा, निषेधाज्ञा का प्रस्तुत करना न्यायहित में आवश्यक हो गया हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

9. यह कि विपक्षी संख्या 1, 2 एवं 14 को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे परिशिष्ट क व ख की दौराने वाद विवादित भूमि का कोई भी अंश किसी भी व्यक्ति को रहन, बैह, बक्षीस आदि तरीको से हस्तान्तरित नहीं करे, राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे एवं प्रार्थी को उसके हक हिस्से अनुसार संयुक्त उपयोग उपभोग में बाधा पैदा नहीं करे। यह कार्य वे स्वयं अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नहीं करे, न करावें। दौराने वाद यदि विपक्षी संख्या 1, 2 व 14 अपने मकसद में कामयाब हो जावे तो प्रार्थी को वांछित अनुतोष दिलाया जावे एवं दावा दायरी की स्थिति बहाल करायी जावे। विपक्षीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने से विपक्षीगण को किसी प्रकार की कोई क्षति होने वाली नहीं है जब कि प्रार्थी को इतनी अशोधनीय हानि होगी जिसका एवजाना नकदी में किसी भी सुरत में नहीं आंका जा सकेगा। विवादित भूमि प्रार्थी की माता पारसदेवी की पुश्तैनी भूमि होकर प्रार्थी का प्रथम दृष्टया केस होकर सुविधा संतुलन एवं अतुलनीय क्षति के तीनों बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में हैं।

10. यह कि बिनाय प्रार्थना पत्र विरूद्व विपक्षीगण दिनांक 16.07.2024 को पैदा हुआ जब प्रार्थी विवादित भूमि की देखभाल करने के लिए गया तो विपक्षी संख्या 14 ने प्रार्थी को बताया कि यह भूमि तो उसने खरीद ली है और जल्द ही वह कब्जा कर प्रार्थी को बेदखल कर देगा एवं प्रार्थी नहीं मानेगा तो भूमि ऐसे लोगों को बेच देगा जो प्रार्थी को बेदखल कर देगा जिससे विपक्षी का उक्त कृत्य प्रार्थी के हक व अधिकारों पर कुठाराघात करने वाला होने से बिनाय प्रार्थना पत्र पैदा हो निरन्तर जारी हैं। विपक्षी संख्या 1 व 2 के द्वारा बिना हक बिना अधिकार के प्रतिवादी कैलाश के पक्ष में विक्रय पत्र पंजीयन करा देने से वादी द्वारा सिविल न्यायाधीश महोदय मावली के समक्ष विक्रय पत्र के अवैध एवं शून्य घोषित कराये जाने हेतु वाद पेश किया गया तथा विपक्षी संख्या 1 व 2 के पक्ष में कानूनी प्रावधानों को ताक में रख कर खोले गये नामान्तरण की माननीय आप न्यायालय में अपील पेश कर रखी हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में एवं विपक्षी संख्या 1, 2 व 14 के विरूद्व मूल वाद के निर्णय तक विपक्षीगण को इस अमर की अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जावे कि वे परिशिष्ट क एवं ख में वर्णित विवादित भूमि का कोई भी अंश किसी भी व्यक्ति को रहन बैह, बक्षीस आदि तरीको से हस्तान्तरित नहीं करे। राजस्व रेकार्ड एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखे। प्रार्थी को उसके हक हिस्से एवं संयुक्त कब्जे उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की कोई बाधा पैदा नहीं करे। यह कार्य विपक्षीगण स्वयं व अपने नौकर चाकर एजेन्ट मित्र परिवारजन आदि से भी नहीं करे, न करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

11. पत्रावली दर्ज रजिस्टर कर विपक्षीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। विपक्षी संख्या 3 से 5 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने पर इनके विरूद्व पूर्व में एकतरफा कार्यवाही के आदेश पारित किये जा चुके हैं। प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 3 से 13 के विरूद्व किसी प्रकार का अनुतोष नहीं चाहा गया हैं। विपक्षी संख्या 1, 2/1, 2/2 को पर्याप्त अवसर दिये जाने पर भी जवाब पेश नहीं करने पर जवाब का अवसर पूर्व में बन्द किया जा चुका हैं। विपक्षी संख्या 2/3 द्वारा जवाब पेश कर निवेदन किया कि वाद एवं प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात किसी भी तरह से पैतृक नहीं होने से विपक्षी संख्या 1 व 2 के वारिसान के अलावा किसी भी अन्य का कोई हक व अधिकार नहीं बनता है एवं हिन्दू उत्तराधिकार के अनुसार मिताक्षरा विधि के प्रावधानों के अनुसार कोई भी सम्पति यदि किसी को उसके पिता से एवं उसके पिता को पिता के पिता से एवं यानि दादा से एवं दादा के पिता यानि परदादा से चार पीढी से निरन्तर प्राप्त होती है तो ही पैतृक मानी जाएगी जबकि प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में इस तरह के किसी भी प्रकार के कथन का अंकन नहीं किया है एवं न ही ऐसे कोई दस्तावेज ही अपने प्रार्थना पत्र के समर्थन में प्रस्तुत किये है। जिससे की सुशीला, पारसबाई, कमलाबाई, भागवन्ती एवं अरूणा का कोई हक व हिस्सा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि में नहीं बनता हैं।

12. यह कि विरासत से जो नामान्तरकरण समरथलाल जी के निधनोपरान्त खोला गया वो सही है एवं विभाग द्वारा पूर्णतया जांच करके नियमानुसार सही नामान्तरकरण खोला गया जिसमें किसी अन्य का कोई हक अधिकार या हिस्सा निहित नहीं था और न ही आज भी हैं। प्रार्थी की माता को कभी भी प्रार्थी के नानाजी ने कोई कृषि भूमि हथलेवे में नही दी एवं पुर्व में प्रार्थी द्वारा एक वाद माननीय सिविल न्यायालय मावली में एक वाद वास्ते निरस्तीकरण पंजीकृत विक्रय पत्र का प्रस्तुत किया जिसमें इस प्रकार के किसी भी तथ्यों का अंकन नहीं किया गया है एवं प्रार्थी का उक्त वाद भी माननीय सिविल न्यायालय मावली द्वारा खारिज कर दिया गया एवं यदि सन् 1958 में यदि प्रार्थी के नाना जी द्वारा प्रार्थी के माता जी को आराजी संख्या 662, 663 हथलेवे में दी होती तो उसके पश्चात् सेटलमेन्ट हो चुका है एवं आराजी संख्या 662, 663 के नये नम्बर बन चुके है जिसे प्रार्थी को दस्तावेजो से साबित किया जाना आवश्यक है एवं यदि हाल नम्बर 662, 663 हथलेवे में देने का कथन करता है तो जब हथलेवे में जो कृषि आराजीयात दी गई उसके साबिक आराजी नम्बर क्या थे यह भी दस्तावेजो से प्रार्थी को स्पष्ट करना चाहिए था जो कि प्रार्थी द्वारा कहीं भी अंकित नहीं किया गया है एवं यदि प्रार्थी की माता को प्रार्थी के नाना जी द्वारा कोई भी कृषि भूमि हथलेवे में दी गई थी तो प्रार्थी की माता द्वारा वक्त सेटलमेन्ट अपने नाम पर [illegible] करवाने के लिये अवश्य ही कोई न कोई कार्यवाही करती परन्तु ऐसी कोई कार्यवाही [illegible] की गई और न ही राजस्व अभिलेखों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

भी ऐसे किसी इन्द्राज का अंकन है कि प्रार्थी की माता का कोई कब्जा ही सिद्ध हो सके। सभी तथ्य मनगढन्त एवं मिथ्या अंकित किये गये हैं।

13. यह कि विपक्षी संख्या 1 व 2 जिनका देहावसान हो चुका है ने विपक्षी संख्या 14 के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया और मौके पर कब्जा सिपूर्द किया गया एवं विपक्षी संख्या 1 रणजीत व दिनेश विक्रय सुदा कृषि भूमि के रेकार्डेड खातेदार होकर कब्जे काश्त में थे जिससे विपक्षी संख्या 14 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा सिपूर्द किया गया एवं उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जावे तब तक प्रार्थी किसी भी प्रकार की दाद माननीय आप न्यायालय से विपक्षी संख्या 14 के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं जब तक सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक प्रार्थी को माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने या रिलिफ प्राप्त करने का कोई हक व अधिकार नहीं हैं। प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है एवं न ही प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति ही कारित हो रही है विपक्षी संख्या 2/3 को अपने हक हिस्से को किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पुरा–पुरा स्वतन्त्र रूप से अधिकार है एवं न ही सुविधा संतुलन का बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में है एवं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी हो जाती है तो जो क्षति विपक्षीगण को कारित होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव हैं। प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक को किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र कारण विरूद्व विपक्षीगण किसी भी तरह का उत्पन्न नहीं होता है। प्रार्थी ने माननीय सिविल न्यायालय में वाद अवश्य प्रस्तुत किया था परन्तु माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वाद को सुनवाई कर प्रारम्भतः खारिज कर दिया गया एवं उक्त वाद फैसल हो चुका हैं।

14. **विशेष कथन प्रस्तुत** कर निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क व ख में वर्णित समस्त कृषि आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की दाद चाही है एवं प्रार्थी को यह भी समुचित रूप से जानकारी है कि परिशिष्ट क व ख में वर्णित कृषि भूमियां विक्रय की जा चुकी है एवं अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हो कब्जे उपयोग में है एवं उन्हे उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है ऐसी स्थिति में उन्हे सुने बिना न्यायालय किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञाा ऐसे किसी भी पक्षकार के विरूद्व जारी नहीं कर सकती है जो कि आवश्यक पक्षकार है जिससे कि पक्षकारों के कुसंयोजन में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य है। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र के साथ जो वाद प्रस्तुत किया है एवं प्रार्थना पत्र में जो दाद प्राप्त करना चाहा है उसके लिए प्रार्थी की माताजी ने कभी भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में उनके जीवनकाल में नहीं की है ऐसी स्थिति में उनके द्वारा उनके कोई

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sivi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

भी अधिकार यदि निहित थे तो भी उन्हे अभित्यक्त कर दिया गया माना जावेंगा। यदि प्रार्थीया की माता जी को कोई भी भूमि किसी भी तरह से प्राप्त होती तो प्रार्थी की माता जी अपने जीवनकाल में उसे अपने नाम पर करवाने के लिए कोई न कोई कार्यवाही अवश्य ही करती।

15. यह कि प्रार्थी ने अपनी रिलिफ/अनुतोष में परिशिष्ट क व ख में वर्णित कृषि आराजीयात में विपक्षी संख्या 1, 2/3 व 14 को विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की मांग की है जबकि आज दिनांक को परिशिष्ट क व ख में कई अन्य खातेदार होकर कब्जे उपयोग में है एवं कई भूमियां तो कन्वर्ट भी हो चुकी है जिन्हे प्रार्थी ने अपने मामले में पक्षकार नहीं बनाया है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाये जाने की कृपा करावें।

16. **विपक्षी संख्या 14 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र मय काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन** किया कि प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क में वर्णित आराजीयात के आराजी संख्या 662 को विपक्षीगण द्वारा विक्रय कर दिया गया है एवं कब्जा क्रेतागण का है एवं 663 का वर्तमान में मैं विपक्षी खातेदार हुं जो कि राजस्व रेकार्ड में अंकित है जो स्वीकार हैं। प्रार्थी द्वारा एक वाद माननीय सिविल न्यायालय मावली में एक वाद वास्ते निरस्तीकरण पंजीकृत विक्रय पत्र का प्रस्तुत किया जिसमें इस प्रकार के किसी भी तथ्यों का अंकन नहीं किया गया है एवं प्रार्थी का उक्त वाद भी माननीय सिविल न्यायालय मावली द्वारा खारिज कर दिया गया। विपक्षी संख्या 1, 2 जिसका देहावसान हो चुका है ने मुझ विपक्षी संख्या 14 के पक्ष में विक्रय पत्र का पंजीयन करवाया और मौके पर कब्जा सिपूर्द किया गया एवं विपक्षी संख्या 1 रणजीत व दिनेश विक्रयसुदा कृषि भूमि के रेकार्डेड खातेदार होकर कब्जे काश्त में थे जिससे विपक्षी संख्या 14 को जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र विक्रय की गई कृषि भूमि का कब्जा सिपूर्द किया गया एवं उक्त पंजीकृत विक्रय पत्र को जब तक सिविल न्यायालय से निरस्त नहीं करवाया जावे तब तक प्रार्थी किसी भी प्रकार की दाद माननीय आप न्यायालय से विपक्षी संख्या 14 के विरूद्व प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है एवं जब तक सिविल न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्रों को निरस्त नहीं करवा दिया जाता है तब तक प्रार्थी को माननीय न्यायालय में किसी भी प्रकार का वाद प्रस्तुत करने या रिलिफ प्राप्त करने का कोई हक व अधिकार नहीं है। विपक्षी संख्या 14 रेकार्डेड खातेदार काश्तकार होने से प्रार्थी किसी भी प्रकार की कोई अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने के अधिकारी नहीं है एवं वर्तमान राजस्व रेकार्ड के अनुसार विपक्षी संख्या 14 केवल मात्र आराजी संख्या 663 का खातेदार है एवं आराजी संख्या 662 को अन्य व्यक्तियों को विक्रय कर दी है जो मौके पर काबिज होकर उपयोग उपभोग में हैं।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

17. यह कि प्रार्थी का कोई प्रथम दृष्टया प्रकरण नहीं है एवं न ही प्रार्थी को किसी भी प्रकार की कोई क्षति ही कारित हो रही है विपक्षी संख्या 14 को अपने हक हिस्से को किसी भी प्रकार से उपयोग उपभोग करने का पूरा–पूरा स्वतन्त्र रूप से अधिकार है एवं न ही सुविधा संतुलन का बिन्दु प्रार्थी के पक्ष में है एवं यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है तो जो क्षति विपक्षी संख्या 14 को कारित होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना असंभव है एवं विपक्षी संख्या 14 सद्भावी क्रेता है जिसने पूर्ण प्रतिफल अदा कर कृषि आराजीयात क्रय कर कब्जा प्राप्त किया है। जिसे अपने अधिकारों से महरूम होना पडेगा। प्रार्थना पत्र में वर्णित दिनांक को किसी भी प्रकार का प्रार्थना पत्र कारण विरूद्व विपक्षीगण किसी भी तरह का उत्पन्न नहीं होता हैं। प्रार्थी ने माननीय सिविल न्यायालय में वाद अवश्य प्रस्तुत किया था परन्तु माननीय सिविल न्यायालय द्वारा उक्त वाद को सुनवाई कर प्रारम्भतः खारिज कर दिया गया एवं उक्त वाद फैसल हो चुका हैं।

18. **विशेष कथन प्रस्तुत कर** निवेदन किया कि प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र के परिशिष्ट क व ख में वर्णित समस्त कृषि आराजीयात पर अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने की दाद चाही है एवं प्रार्थी को यह समुचित रूप से जानकारी है कि परिशिष्ट क व ख में वर्णित कृषि भूमियां विक्रय की जा चुकी है एवं अन्य खातेदारों के नाम दर्ज हो कब्जे उपयोग में है एवं उन्हे उक्त प्रकरण में पक्षकार नहीं बनाया गया है ऐसी स्थिति में उन्हे सुने बिना न्यायालय किसी भी प्रकार की कोई निषेधाज्ञा ऐसे किसी भी पक्षकार के विरूद्व जारी नहीं कर सकती है जो कि आवश्यक पक्षकार है जिससे कि पक्षकारों के कुसंयोजन में प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं होकर खारिज योग्य हैं। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना पत्र में जो दाद प्राप्त करना चाहा है उसके लिए प्रार्थी की माताजी ने कभी भी किसी प्रकार की कोई कार्यवाही किसी भी न्यायालय में उनके जीवनकाल में नहीं की है एवं ऐसी स्थिति में उनके द्वारा उनके कोई भी अधिकार यदि निहित थे तो भी उन्हे अभित्यक्त कर दिया गया माना जावेंगा। यदि प्रार्थीया की माता जी को कोई भी भूमि किसी भी तरह से प्राप्त होती है तो प्रार्थी की माता जी अपने जीवनकाल में उसे अपने नाम पर करवाने के लिए कोई न कोई कार्यवाही अवश्य ही करती। प्रार्थी ने अपनी रिलिफ/अनुतोष में परिशिष्ट क व ख में वर्णित कृषि आराजीयात में विपक्षी संख्या 1, 2 व 14 को विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की मांग की है जबकि आज दिनांक को परिशिष्ट क व ख में कई अन्य खातेदार होकर कब्जे उपयोग में है जिन्हे प्रार्थी ने अपने मामले में पक्षकार नहीं बनाया है जिससे भी प्रार्थी का प्रार्थना पत्र चलने योग्य नहीं हैं। प्रार्थना प्रार्थी सम्पूर्ण अस्वीकार होकर निवेदन है कि प्रार्थी का वाद सव्यय खारिज फरमाये जाने की कृपा करावें।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

19. **काउन्टर प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया** कि प्रार्थना पत्र में वर्णित कृषि आराजीयात आराजी संख्या 662 रकबा 0.1052 विक्रय हो चुकी है एवं 663 रकबा 0.0809 मुझ विपक्षी द्वारा पूर्व खातेदार रणजीत पिता समरथ लाल एवं दिनेश पिता समरथ लाल से जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र से खरीद कर कब्जा प्राप्त किया एवं वक्त खरीद से ही काबिज होकर काश्त कर उपयोग उपभोग कर रहा हुं जिसमें किसी अन्य का कोई हक व अधिकार नहीं है। प्रार्थी अपने परिवारजन के साथ मिलकर मुझ विपक्षी की कब्जे एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात में व्यवधान पैदा करने की गरज से मौके पर आकर आये दिन विवाद करता रहता है एवं कब्जे काश्त में दखलन्दाजी करता है जिसका प्रार्थी एवं उसके परिवारजन को किसी प्रकार का कोई हक अधिकार नहीं है जिससे कि प्रार्थी एवं उसके परिवारजन के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना अत्यन्त आवश्यक है जिससे कि मैं विपक्षी अपने खातेदारी की खरीदशुदा कृषि भूमि का उपयोग उपभोग शान्तिपूर्वक कर सकुं जिससे कि मैं विपक्षी प्रार्थी एवं उसके परिवारजन के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी करवाने का अधिकारी हुं।

20. यह कि मुझ विपक्षी का प्रथम दृष्टया प्रकरण है क्योंकि मैं विपक्षी काउन्टर क्लेम में वर्णित कृषि आराजीयात का सद्‌भावी क्रेता होकर रेकार्डेड खातेदार काश्तकार हुं जिसमें किसी अन्य का कोई हक अधिकार नहीं हैं एवं सुविधा संतुलन का बिन्दु भी मुझ विपक्षी के पक्ष में है स्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं होने से मुझ विपक्षी की कब्जे एवं खातेदारी की कृषि आराजीयात संख्या 663 पर वादी कब्जा कर लेगा जिससे मुझ विपक्षी को जो क्षति कारित होगी उसका मूल्यांकन रूपयों पैसों में आंका जाना संभव नहीं है एवं अस्थाई निषेधाज्ञा जारी होने से प्रार्थी या उसके परिवारजन को किसी प्रकार की कोई क्षति कारित नहीं होगी। मुझ विपक्षी को काउन्टर प्रार्थना पत्र का कारण मुझ विपक्षी को वाद के सम्मन नोटिस प्राप्त होने एवं मुझ विपक्षी के विरूद्व माननीय सिविल न्यायालय में वादी द्वारा वाद प्रस्तुत करने की दिनांक से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी हैं। अन्त में निवेदन किया कि मुझ विपक्षी का काउन्टर प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर मुझ विपक्षी संख्या 14 के पक्ष में एवं प्रार्थी के विरूद्व इस आशय का आदेश फरमाया जावे कि काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित आराजी संख्या 663 में मुझ विपक्षी के कब्जे काश्त में किसी भी प्रकार की कोई दखलन्दाजी न स्वयं करे और न ही अपने किसी नौकर चाकर एजेन्ट या किसी अन्य परिवारजन से ही करावें और शांतिपूर्वक उपयोग उपभोग करने देवें।

21. **प्रार्थी द्वारा विपक्षी संख्या 14 के काउन्टर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि** विपक्षी संख्या 14 द्वारा प्रस्तुत काउन्टर [illegible] अधिकार विहिन दस्तावेज के आधार पर आधारित होने से निश्चित रूप से खारिज [illegible]। यदि विपक्षी संख्या 14 ने स्वयं द्वारा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

अधिकार विहिन दस्तावेज के आधार पर आगे कोई दस्तावेज दौराने वाद निष्पादित किये है तो इस वाद एवं वादी अशोक के अधिकार के मुकाबले शून्य प्रभावी हैं। विपक्षी संख्या 14 का कोई कब्जा एवं उपयोग उपभोग नहीं है। वाद वर्णित आराजीयात वादी अशोक एवं उसके परिवार की हक अधिकार की भूमि है जिसमें विपक्षी संख्या 14 का कोई हक अधिकार नहीं हैं। विपक्षी संख्या 14 कतई सद्भावी क्रेता नहीं है सद्भावी क्रेता होता तो निश्चित तौर पर वाद वर्णित सम्पति के सम्पूर्ण दस्तावेज की जांच करने के उपरान्त ही विक्रय पत्र निष्पादित करवाता लेकिन विपक्षी संख्या 14 ने सिर्फ दिखावटी, नुमाईशी विक्रय पत्र अपने पक्ष में निष्पादित करवाया है जिससे विपक्षी संख्या 14 को वादी अशोक के मुकाबले कोई हक अधिकार प्राप्त नहीं होते है। प्रथम दृष्टया प्रकरण सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का प्रश्न वादी के पक्ष में है काउन्टर क्लेम कर्ता का इस वाद वर्णित सम्पति में कोई हक अधिकार नहीं बनता हैं।

22. **विशेष कथन प्रस्तुत कर निवेदन किया कि** वाद वर्णित सम्पति पर काउन्टर क्लेम प्रस्तुतकर्ता का कोई कब्जा नहीं होने से वाद चलने योग्य नहीं हैं। अन्त में निवेदन किया कि काउन्टर क्लेम कर्ता का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज फरमाया जावें।

23. प्रकरण में अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस सुनी गईं। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा न्यायिक दृष्टान्त SUPREME COURT OF INDIA Civil Appeal No. Diary No. 32601 of 2018 D/d 11.08.2020 Vineeta Sharma-Appellants Versus Rakesh Sharma & Ors.-Respodents "Daughter has been recognized and treated ad a coparcener, with equal rights and liabilities ad that of a son – Coparcener right is by birth – Not at all necessary that the father of the daughter should be living on the date of the amendment."

SUPREME COURT OF INDIA Civil Appeal No. 2295 of 1984 with C.A. No. 293 of 1984 D/d. 07.07.1997 Balwant Singh-Appellants Versus Daulat Singh (dead) by LRs-Respodents "B. Mutation – Succession – Title – Widow is entitled to succeed or become absolute owner under the provisions of Hindu Succession Act qua the properties of her deceased husband, mere sanction of mutation in the name of other person will not divest her from her right and title – Mutation entries will not convey of extinguish title in the property – Widow must be deemed to have continued in possession and become absolute owner – Alienations made of challenged by her cannot be said to be without authority."

SUPREME COURT OF INDIA Civil Appeal No. 10987 of 1996 (Arising out of SLP (C) No. 6956 of 1995). D/d 23.08.1996 Smt. Sawarni-Appellant Versus Smt. Inder Kaur-Respodents "Mutation – Title – Mutation of a property in the revenue record does not create of extinguish title nor has it any presumptive value in title – It only enables the person in error in coming to a conclusion – Mutation in favour of a person conveys title in his favour."

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

THE HINDU SUCCESSION ACT, 1956 – Devolution of interest in coparcenary property. – On and from the commencement of the Hindu Succession (Amendment) Act, 2005 (39 of 2005), in a Joint Hindu family governed by the Mitakshara law, the daughter of a coparcener shall, पेश कर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाने का निवेदन किया। अधिवक्ता विपक्षी संख्या 2/3 व 14 द्वारा अपनी बहस में जवाब प्रार्थना पत्र एवं काउन्टर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज किया जाने का निवेदन किया।

24. हमने विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। पत्रावली का अवलोकन किया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त का सद्भावनापूर्वक अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अध्ययन किया। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 212 अस्थाई निषेधाज्ञा के निर्णय के लिए तीनो बिन्दु पर विवेचन आवश्यक है जो इस प्रकार है :–

1. *प्रथम दृष्टया मामला–* प्रकरण का अवलोकन किया। प्रकरण के अवलोकन से जाहिर आया कि ग्राम गुडली की नकल जमाबन्दी सम्वत् 2034–37 में वादग्रस्त भूमि प्रार्थना पत्र में वर्णित सजरे अनुसार प्रार्थी के नाना समरथलाल के नाम हिस्सेनुसार दर्ज थी। उसके पश्चात् नामान्तरकरण संख्या 76 विरासत के आधार पर वादग्रस्त भूमि विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज हुई। प्रकरण में सर्वप्रथम तो प्रार्थी द्वारा बताया गये सजरे अनुसार मूल पुरूष समरथलाल के दो पुत्र व पांच पुत्रीयां हैं जिसमें दो पुत्रीयां पारसदेवी व कमलाबाई का निधन हो गया हैं। प्रार्थी पारसदेवी का ही पुत्र हैं। प्रकरण में विपक्षी संख्या 2/3 एवं 14 द्वारा जवाब पेश किया गया जिसमें सजरे का किसी प्रकार से खण्डन नहीं किया गया केवल मात्र सजरा प्रार्थी स्वयं सिद्ध करावे, अंकित किया गया। न्यायालय का मानना है कि यदि प्रार्थी द्वारा सजरा गलत प्रस्तुत किया होता तो विपक्षी पक्ष अवश्य ही उस पर आपत्ति प्रस्तुत करता अर्थात् विपक्षी पक्ष द्वारा सजरे पर आपत्ति प्रस्तुत नहीं करने से प्रार्थी द्वारा बताया गया सजरा सिद्ध पाया जाता हैं।

वादग्रस्त भूमि समरथलाल के दर्ज होना नकल जमाबन्दी सम्वत् 2034–37 से प्रथम दृष्टया प्रमाणित हैं जिसके उपर अंकित नोट अनुसार नामान्तरकरण संख्या 76 से विरासत के आधार पर विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज होना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई जाती हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि जब वादग्रस्त भूमि समरथलाल जी के नाम दर्ज थी तथा समरथलाल जी के निधन के पश्चात् हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् विरासत से विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम दर्ज की गई जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् समरथलाल जी की सम्पति उनके निधन के पश्चात् उसके सभी प्रथम श्रेणी के वारिस अर्थात् पुत्र एवं पुत्रीयों में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

बराबर से निहित होनी चाहिए थी परन्तु संलग्न दस्तावेज के अनुसार प्रथम दृष्टया विपक्षी संख्या 1, 2 के नाम ही दर्ज होना प्रतीत होता हैं। इस प्रकार उक्त भूमि में प्रथम दृष्टया प्रार्थी की माता पारसदेवी का भी हिस्सा होना प्रतीत होता हैं। प्रार्थी की माता पारसदेवी का निधन होने से प्रार्थी पारसदेवी का प्रथम श्रेणी का वारिस होने से अपने हक हिस्से की घोषणा हेतु वाद प्रस्तुत किया हैं।

न्यायालय का मानना है कि वादग्रस्त भूमि समरथलाल एवं समरथलाल के पश्चात् विपक्षी संख्या 1 व 2 के नाम दर्ज होना संलग्न दस्तावेज से प्रथम दृष्टया प्रतीत होता हैं। जिसका खण्डन भी विपक्षीगण द्वारा नहीं किया गया हैं। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज से यह भी स्पष्ट होता है कि वादग्रस्त भूमि का प्रकरण प्रस्तुत होने के पश्चात् भी फर्दन–फर्दन विक्रय किया जा रहा हैं। इससे जाहिर होता है कि विपक्षी संख्या 1, 2 व 14 प्रार्थी को अपने हक हिस्से से महरूम रखने के लिए भूमि का विक्रय कर रहे हैं। यदि विपक्षीगण इसी प्रकार वादग्रस्त भूमि का फर्दन–फर्दन विक्रय करते रहे तो प्रकरण में अनावश्यक मुकदमेंबाजी व पैचिदगीया बढ़ेगी तथा प्रार्थी के हक हिस्से पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा। उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं। अतः प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया जाता हैं।

2. *सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू –* प्रकरण में प्रथम दृष्टया मामला प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किया गया हैं। न्यायालय का विनम्र अभिमत है कि वादग्रस्त भूमि में से विपक्षी संख्या 1, 2 व 14 बाहुबल से प्रार्थी को बेदखल कर देते है या वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य कर मौके की स्थिति अकृषि में परिवर्तन कर देते है तो इससे प्रार्थी के हक अधिकारो पर प्रतिकूल प्रभाव पडेगा तथा प्रार्थी को अपूरणीय क्षति होगी।

विपक्षी संख्या 14 का कथन है कि उसके द्वारा वादग्रस्त भूमि रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर क्रय की गई हैं। इस कारण से जब तक प्रार्थी सक्षम न्यायालय से रजिस्टर्ड विक्रय पत्र को निरस्त नहीं करवा देता है तब तक विपक्षी संख्या 14 के विरूद्व अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती हैं। न्यायालय विपक्षी संख्या 14 के इस कथन से संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि प्रार्थी द्वारा हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 की धारा 8 के तहत् घोषणा का वाद प्रस्तुत किया हैं। प्रार्थी का वाद रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त करवाने का नहीं हैं फिर भी रजिस्टर्ड विक्रय पत्र निरस्त करवाये बिना प्रार्थी को घोषणा दी जा सकती है या नहीं यह तथ्य मूल वाद में साक्ष्य सबूत के आधार पर तय होगा।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested

उपरोक्त विवेचन के आधार पर सुविधा का संतुलन एवं अपूरणीय क्षति का बिन्दू प्रार्थी अपने पक्ष में साबित कराने में सफल रहा हैं। अतः सुविधा संतुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दू प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये जाते हैं।

25. इस प्रकार प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन का बिन्दु व अपूरणीय क्षति के बिन्दु भी प्रार्थी के पक्ष में निर्णित किये गये हैं। शेष अन्य बिन्दु मूल वाद में साक्ष्य सबूत आदि के आधार पर तय किये जायेगे। अतः ऐसी स्थिति में विपक्षी संख्या 1, 2, 14 को मूल वाद के निस्तारण तक अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित में उचित प्रतीत होता हैं। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार तथा विपक्षी संख्या 14 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज योग्य पाया जाता हैं।

—: आदेश :—

परिणामस्वरूप विपक्षी संख्या 14 का काउन्टर प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है तथा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का स्वीकार किया जाकर विपक्षी संख्या 1, 2, 14 के विरूद्व मूल वाद के निस्तारण तक इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है कि मौजा गुडली पटवार हल्का गुडली तहसील मावली की खाता संख्या 746 पर दर्ज आराजी नम्बर 663 रकबा 0.0809 हेक्टेयर, खाता संख्या 748 पर दर्ज आराजी नम्बर 662 रकबा 0.1052 हेक्टेयर एवं खाता संख्या 308 पर दर्ज आराजी नम्बर 2173, 2174, 2175, 2176, 2353, 2380, 2381, 2382, 2386 किता 9 कुल रकबा 2.6466 हेक्टेयर भूमि में अपने नाम दर्ज हिस्सा भूमि के मौके एवं राजस्व रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखें। अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद रहे। साथ ही यह भी उल्लेखित किया जाता है कि खाता संख्या 308 पर दर्ज भूमि में केवल मात्र विपक्षी संख्या 1 रणजीतलाल पिता समरथलाल के नाम दर्ज 1/2 हिस्से पर ही उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई हैं। ऐसे में तहसीलदार मावली को निर्देशित किया जाता है कि खाता संख्या 308 पर दर्ज आराजीयात के सम्बन्ध में अन्य सहखातेदार के नामान्तरकरण इस स्थगन के सन्दर्भ में नहीं रोकें।

पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हों।

निर्णय सरे ईजलास लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.12.05 11:23:18 IST
Reason: SelfAttested